रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941
No. 303] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधि. 28.6/2010-एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

आपत्तियां और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकारण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) …….. संशोधन विनियम, 2019 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 (जिन्हें इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया है) के,-

(क) "सुदृढ़ीकृत खाद्य में सूक्ष्मपोषक तत्वों पर मानकों का अनुपालन" से संबन्धित विनियम 4 के उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"कोई विनिर्माता जो किसी भी खाद्य का शक्तिवर्धन करता है वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे शक्तिवर्धक खाद्य में लेबल पर घोषित सूक्ष्म पोषकों का स्तर अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट स्वीकार्य स्तर (न्यूनतम-अधिकतम) के भीतर ही हो।

(ख) "पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षाएँ" से संबन्धित विनियम 7 में, उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"बशर्ते कि उत्पाद पर घोषित शेल्फ लाइफ के भीतर किसी भी समय अनुपालन और विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए लेबल पर सूक्ष्म पोषकों के घोषित स्तर का +/- 10 प्रतिशत स्वीकार्य किया जा सकता है।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./191/19]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं॰ फाइल सं॰ 11/03/विनियम/पौष्टिकीकरण/2014, दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.6/2010-FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice us hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Dlehi-110002, or may be sent at regulation@fssai.gov.in:

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) ......Amendment Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 (herein after referred as said regulation)-

   (A) in regulation 4 relating to "Compliance with Standards on Micronutrient Content in Fortified Foods" for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely:-

   "Any manufacturer who fortifies any food shall ensure that the declared value of micronutrients on label of such fortified food shall fall within the levels (minimum-maximum) specified in Schedule-I during the declared shelf life of the products.";

(B) In regulations 7 relating to "Packaging and Labelling Requirements" after sub-regulation (3), the following provision shall be inserted, namely:-

"Provided that tolerance of +/- 10 per cent of the declared value of micronutrients on the label may be allowed for the purposes of compliance and analysis at any point in time within declared shelf life of the product."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./191/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2st August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.29 23:08:13 +05'30'